

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-12) विभाग

क्रमांक प.1(2)गृह-12/कारा/2019

जयपुर, दिनांक :

गृह (गुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आवृत्ति संख्या 92
दिनांक 12/11/24

-: आदेश :-

वर्ष 2024-25 में राजस्थान कारागार सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री रामावतार शर्मा	उपाधीक्षक	22.11.1964	30.11.2024
2.	श्री डूलेसिंह	उपाधीक्षक	15.12.1964	31.12.2024
3.	श्री कैलाश त्रिवेदी	उप महानिरीक्षक कारागार	01.03.1965	28.02.2025
4.	श्री अशोक वर्मा	अधीक्षक ग्रेड-I	01.03.1965	28.02.2025

कार्मिक (क-3/जांच) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सूची में क्रम संख्या 01 पर अंकित श्री रामावतार शर्मा, उपाधीक्षक के विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत एक प्रकरण विचाराधीन है। सूची में अंकित शेष अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई DE/PE/FIR/Comp. विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से,

(अलका मीणा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/शासन सचिव-II, गृह।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 40631-32 दिनांक 04.12.2023 के क्रम में।
5. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, गृह(जेल)।
6. महालेखाकार, (लेखा सिविल परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, गृह (गुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
5282477



Digitally signed by Alka Meena
Designation: Additional Chief
Vigilance Commissioner

Date: 2024.01.11 11:59:05 IST

Reason: Approved